Date - 3 March 2022

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

- हाल ही में, रूसी आक्रमण के बाद "यूक्रेन की स्थिति" पर 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' के एक अभियोजक द्वारा एक जांच शुरू की गई है।
- अभियोजक का मानना है कि 2014 से यूक्रेन में तथाकथित 'युद्ध अपराध' और 'मानवता के खिलाफ अपराध' दोनों को मानने के उचित आधार हैं।

संबंधित मामला:

- 'इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट' (ICC) के लिए "आक्रामकता के अपराध के संबंध में" कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह अदालत "इस कथित अपराध पर अपने अधिकार क्षेत्र" का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही 'इंटरनेशनल क्रिमिनल' के संस्थापक हैं। कोर्ट' 'रोम संविधि' का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- लेकिन, अब 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' का मानना है कि इस अदालत के पास इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि यूक्रेन के पास पहले दो बार है – एक बार 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद और दूसरी बार 2015 में, जब यूक्रेन ने मान्यता दी "अनिश्चित अवधि" के रूप में अदालत के अधिकार क्षेत्र ने अदालत के जनादेश को स्वीकार कर लिया है।

क्या रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं?

- 28 फरवरी की सुबह, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के केंद्र में रूसी ग्रैड मिसाइलों ने कहर बरपाया|
- यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार, मिसाइलों ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया और हमला एक 'युद्ध अपराध' है।

'युद्ध अपराध' क्या हैं?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 'युद्ध अपराध' अंतरराष्ट्रीय या घरेलू सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों या 'शत्रु लड़ाकों' के खिलाफ किए गए अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है।
- नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के विपरीत, 'युद्ध अपराधों' में सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में किए गए अपराध शामिल हैं।

Yojna IAS

‘जिनेवा कन्वेंशन‘

- वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित चार ‘जिनेवा कन्वेंशन’ में ‘युद्ध अपराध’ का अर्थ स्पष्ट किया गया था।
- चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद **147** में युद्ध अपराधों को “जानबूझकर शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर दर्द या गंभीर चोट, गैरकानूनी निर्वासन या स्थानांतरण, कारावास या गैरकानूनी कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है, इसे अनुचित, जानबूझकर और निर्दयी कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं जानबूझकर हत्याएं, यातनाएं, अन्य अमानवीय तरीके और सैन्य जरूरतों के तहत, जिसमें सामूहिक विनाश और संपत्ति का कब्जा शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) घटनाक्रम:

- अपराधों की सूची का विस्तार ‘अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय’ के रोम संविधि द्वारा किया गया है, जिसमें ‘युद्ध अपराध’ के अंतर्गत आने वाले अपराध भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इस क़ानून के तहत, जबरन गर्भाधान को युद्ध अपराध माना जाएगा।

समानता, पहचान और वरीयता:

- इस मानव कानून के तीन मुख्य स्तंभ आनुपातिकता, भेद और एहतियात के सिद्धांत हैं।
- यदि इनमें से किसी एक या सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा।

Yojna IAS

‘वन रैंक वन पेंशन’: सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह विश्लेषण करने के लिए कहा है कि सशस्त्र बलों में कितने लोगों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) नीति से लाभ हुआ है।
- न्यायालय ने यह भी देखा कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ पर केंद्र का रुख सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों को वास्तव में दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है।

‘वन रैंक वन पेंशन‘ **(OROP)** नीति

- ‘वन रैंक, वन पेंशन’ **(OROP)** का अर्थ है कि सेवानिवृत्ति की तारीख के अलावा समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सैनिकों को समान पेंशन दी जाएगी।
- ‘वन रैंक, वन पेंशन’ से पहले, पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी।
- उत्तर प्रदेश और पंजाब में ओआरओपी लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है।
- सशस्त्र बल के कार्मिक, जो **30** जून, **2014** को सेवानिवृत्त हुए हैं, इसके अंतर्गत आते हैं।
- इस योजना का कार्यान्वयन भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाले **10** सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल कोश्यारी समिति की सिफारिश पर आधारित था।

Yojna IAS

आईएनएस विशाखापत्तनम

- हाल ही में भारत निर्मित स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से विशाखापत्तनम बंदरगाह से जोड़ा गया था।
- यह चार 'विशाखापत्तनम' श्रेणी के विध्वंसकों में से पहले के औपचारिक समावेश का प्रतीक है।
- पी-15बी (विशाखापत्तनम श्रेणी) के तहत कुल चार युद्धपोतों (विशाखापत्तनम, मरमागाओ, इंफाल और सूरत) को शामिल करने की योजना थी।
- यह स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, मुंबई द्वारा निर्मित है।

आईएनएस विशाखापत्तनम:

- आईएनएस विशाखापत्तनम निर्देशित मिसाइल स्टील्थ विध्वंसक के पी15बी वर्ग का प्रमुख जहाज है और इसे 21 नवंबर 2021 को नौसेना को सौंप दिया गया था।
- जहाज भारत की परिपक्व जहाज निर्माण क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' प्राप्त करने की दिशा में मेक इन इंडिया पहल की खोज का प्रतीक है।
- जहाज का चालक दल अपने आदर्श वाक्य 'यशो लाभ' का अनुसरण करता है, जिसका संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है 'महिमा प्राप्त करना'।
- यह हर प्रयास में सफलता और गौरव प्राप्त करने के लिए इस शक्तिशाली जहाज की अदम्य भावना और क्षमता का प्रतीक है।
- विशाखापत्तनम श्रेणी के जहाज पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक (पी-15ए) के अनुवर्ती हैं।
- पोत राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू (पीएफआर) और मिलन 2022 में भाग लेने के लिए बंदरगाह की अपनी पहली यात्रा पर है।
- 'बेड़े की समीक्षा' एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जिसका पालन दुनिया भर की नौसेनाएं करती हैं और यह संप्रभु और राज्य के प्रति वफादारी और निष्ठा दिखाने के उद्देश्य से एक पूर्व-निर्धारित स्थान पर जहाजों की एक सभा है।

P15B जहाजों की विशेषताएं

- ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों/सेंसर पैकेजों, उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक हैं।
- ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (एसएएम) से लैस हैं।
- जहाज में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम), स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लांचर, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां हैं।

भारत की सुरक्षा में P-15B की क्या भूमिका है?

Yojna IAS

- वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, भारतीय नौसेना 7516 किमी की तटरेखा और लगभग 1100 अपतटीय द्वीपों के साथ 01 मिलियन वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- 'पी-15बी' वर्ग जैसे विध्वंसक हिंद-प्रशांत के बड़े महासागरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे भारतीय नौसेना को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने में मदद मिलती है।
- नौसेना के बेड़े को हवा, सतह या पानी के नीचे किसी भी खतरे से बचाने के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए गए हैं।

Swadeep Kumar

Yojna IAS